

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अति. शि./2024-25/184

भोपाल, दिनांक 12.09.24

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल म.प्र.।

विषय:-अतिथि शिक्षकों के GFMS पोर्टल पर ऑनलाईन दस्तावेज सत्यापन विषयक।

- संदर्भ:- 1. संचालनालय का पत्र क्र./172 दिनांक 04.09.2024।
2. संचालनालय का पत्र क्र./182 दिनांक 09.09.2024।

उपरोक्त विषयांतर्गत कतिपय अतिथि शिक्षकों द्वारा पंजीयन की प्रोफाइल को अनलॉक करने से उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुये हैं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर उनकी योग्यता के दस्तावेजों का सत्यापन GFMS पोर्टल पर दिनांक 13.09.2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आवेदकों के दस्तावेजों का समुचित परीक्षण उपरांत ही सत्यापन करें। सत्यापन में त्रुटि की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में आवेदकों हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन एवं संशोधन करने हेतु दिनांक 15.09.2024 तक की वृद्धि की जाती है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयसीमा में करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12.09.2024

पृ.क्रमांक/अति. शि./2024-25/185

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. आई. टी. भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
7. श्री अंकुर दीक्षित (टेक-लीड)एम.पी.एस.ई.डी.सी.आई. टी. भवन की ओर सूचनार्थ एवं ळथडै पोर्टल पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर, संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश